6/9/19 पत्रावली पश्चात वकील प्रार्थीगण अनुसूचित जाति आयोग हाजरी आयोग पेशी पर खारीज हो चुका है, अतः वाद में आगे की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहा, अतः आवेदन में आगे की कार्यवाही दर्ज रजिस्टर से समाप्त की जावे आवेदन खारीज किया जाता है। पत्रावली पेशी के अभाव होने पर दाखिल दफ्तर हो। संचिका से कम हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं